

सं. 14021/7/2008-एआईएस(II)  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक 26 सितंबर, 2008

सेवा में,  
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र  
के मुख्य सचिव

**विषय :** छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन—पेंशन/उपदान/पेंशन के संराशीकरण/परिवार पेंशन/निःशक्तता पेंशन तथा अनुग्रह एकमुश्त मुआवजा को विनियमित करने वाले प्रावधानों में संशोधन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने दिनांक 2 सितंबर, 2008 के का. जा. सं. 38/37/08-पी एंड पी डब्ल्यू (ए) (प्रति संलग्न) के तहत सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अधीन पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा उपदान/परिवार पेंशन/निःशक्तता पेंशन और अनुग्रह एकमुश्त मुआवजे तथा सीसीएस (पेंशन संराशीकरण) नियमावली 1981, सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियमावली 1939 इत्यादि के अधीन पेंशन के संराशीकरण को विनियमित करने वाले नियमों में आशोधन करते हुए आवश्यक विस्तृत आदेश जारी किया है।

2. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय जापन के उपबंधों की अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों पर प्रयोज्यता पर विचार किया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन और पेंशनभोगी विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त कार्यालय जापन में निहित उपबंध, एआईएस (डीसीआरबी) नियमावली, 1958 द्वारा प्रशासित अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर आवश्यक परिवर्तनों सहित समान रूप से लागू होंगे।

भवदीया  
हस्त/-

(हरजीत कौर)  
निदेशक (सेवा)

संलग्नक:-यथोपरि

प्रतिलिपि

1. गृह मंत्रालय (संयुक्त सचिव-पुलिस)
2. पर्यावरण और वन मंत्रालय (संयुक्त सचिव, आईएफएस)
3. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
4. सभी राज्य सरकारों के महालेखाकार
5. एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।